अति आवश्यक
महत्वपूर्ण

संख्या शिक्षा ई.डी.एन एच.(प्रा0 शि0)(4)4 44/2017–18 Audit
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
हिमाचल प्रदेश।
दिनांक शिमला– 171001 नवम्बर , 2017

सेवा में,

1. समस्त उप–निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा)
   हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त उप निदेशक (उच्च शिक्षा)
   हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
   हिमाचल प्रदेश।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय (हि.प्र.)
13 NOV 2017
शिमला – 1

विषयः– **माननीय प्राक्कलन समिति द्वारा मिड डे मील स्कीम के कार्यन्वयन हेतु सुझाव बारे।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपको अवगत करवाया जाता है, कि दिनांक 02.08.2017 को आयोजित माननीय प्राक्कलन समिति की बैठक में माननीय समिति द्वारा विभाग को सुझाव दिया गया कि प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों की पाठशालाओं में मिड डे मील स्कीम के अन्तर्गत विद्यार्थियों के लिए मध्याहन भोजन बनाने हेतु एल0पी0जी0 (गैस) उपलब्ध न होने की स्थिति में यदि लकड़ी के ईंधन का प्रयोग किया जाता है, तो उक्त प्रयोजन हेतु लकड़ी के ईंधन को लाने एंव इकट्ठा करने का कार्य विद्यार्थियों से न लिया जाए, क्योंकि इस तरह की परम्परा से विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित होती है । इस सन्दर्भ में माननीय प्राक्कलन समिति द्वारा यह सिफारिश की गई है, कि इस तरह की परम्परा को अविलम्ब बन्द किया जाए ताकि पाठशालाओं में विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित न हो।

अतः उक्त तथ्यों के मध्यनजर सभी उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा एंवम उच्च शिक्षा यह सुनिश्चित करने की कृपा करे कि भविष्य में प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों की पाठशलाओं में जहां पर मध्याहन भोजन हेतु एल0पी0जी0 (गैस) उपलब्ध करवाना कठिन है, में मिड डे मील को बनाने हेतु लकड़ी के ईधन को लाने एंव इककठा करने का कार्य विद्यार्थियों से न लिया जाए, ताकि इससे विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित न हो।

कृप्या इसे अतिआवश्यक समझें तथा इस सन्दर्भ में व्यक्तिगत ध्यान देने की कृपा करे, तथा कृत कार्यवाही से निदेशालय को भी अवगत करवायें।

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या सम दिनांक शिमला–171001 नवम्बर , 2017
प्रतिलिपिः–

1. प्रधान सचिव (शिक्षा) हि0प्र0 सरकार शिमला –171002 को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. निदेशक (उच्च शिक्षा) हिमाचल प्रदेश शिमला – 171001 को इस निवेदन के साथ प्रेषित है, कि वह भी उच्च शिक्षा निदेशालय से इस सन्दर्भ में समस्त राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं एंवम राजकीय उच्च पाठशालाओं को उक्त दिशा –निर्देश जारी करने की कृपा करें।
3. रक्षक नास्ति।

निदेशक